



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-15112021-231141
CG-MH-E-15112021-231141

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 553]
No. 553]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 12, 2021/कार्तिक 21, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 12, 2021/KARTIKA 21, 1943

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 2 नवम्बर, 2021

सं. टीएएमपी/51/2021-एमबीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद् द्वारा मझगांव डाक शिपबिल्डर्स लिमिटेड – आरआर जोन 10/80 (मझगांव डिवीजन) को पट्टे पर दी गई भूमि / जल क्षेत्र के 01.10.2017 से 30.09.2022 तक की अवधि के लिये किराया अनुसूची निर्धारण के मुम्बई पत्तन न्यास (एमबीपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव का, इसके साथ संलग्न आदेशानुसार, निपटान करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला संख्या टीएएमपी/51/2021-एमबीपीटी

मुम्बई पत्तन न्यास

आवेदक

गणपूर्ति

- (i). श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)
- (ii). श्री सुनील कुमार सिंह, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(नवंबर, 2021 के 1 वें दिन पारित)

यह मामला मझगांव डाक शिपबिल्डर्स लिमिटेड – आरआर जोन 10/80 (मझगांव डिवीजन) को पट्टे पर दी गई भूमि / जल क्षेत्र के 01.10.2017 से 30.09.2022 तक की अवधि के लिये किराया अनुसूची के अनुमोदन के लिये मुम्बई पत्तन न्यास (एमबीपीटी) के 16 सितम्बर, 2021 के पत्र संख्या एफए/ओईए-एल/21(88)/यू-8/252 के अंतर्गत प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

2. एमबीपीटी का प्रस्ताव संशोधित भू-नीति दिशानिर्देश 2015 पर आधारित है। प्रस्ताव के बारे में संबंधित प्रयोक्ताओं / किरायेदारों / पट्टाधारकों के साथ परामर्श किया गया। मामले की संक्रिया के दौरान प्रयोक्ताओं ने उत्तर दिया। एमबीपीटी ने प्रयोक्ताओं की टिप्पणियों का प्रत्युत्तर दिया। इस मामले में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से 11 अक्तूबर, 2021 को एक संयुक्त सुनवाई का आयोजन किया गया। संयुक्त सुनवाई में एबीपीटी और प्रयोक्ताओं ने अपने-अपने निवेदन रखे।
3. मामले के संसाधन के दौरान एकत्र की गई सूचना की समग्रता और सामूहिक विचार विमर्श के आधार पर, इस प्राधिकरण ने मझगांव डाक शिपबिल्डर्स लिमिटेड – आरआर जोन 10/80 (मझगांव डिवीजन) को पट्टे पर दी गई भूमि / जल क्षेत्र के 01.10.2017 से 30.09.2022 तक की अवधि के लिये किराया अनुसूची के अनुमोदन के लिये एमबीपीटी के प्रस्ताव का निपटान करते हुए एक सकारण आदेश पारित किया।
4. यह प्राधिकरण चाहता है कि मझगांव डाक शिपबिल्डर्स लिमिटेड – आरआर जोन 10/80 (मझगांव डिवीजन) को पट्टे पर दी गई भूमि / जल क्षेत्र के 01.10.2017 से 30.09.2022 तक की अवधि के लिये एमबीपीटी की निम्नलिखित किराया अनुसूची को, सकारण आदेश की अधिसूचना की प्रतीक्षा किये बिना, अधिसूचित किया जाये:

“

क्रम संख्या	आरआर जोन	प्लॉट संख्या	1.10.2017 को दर प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष (₹ मे)
1	2	3	5
1.	10/80	प्लॉट : i) संख्या. 355 (कोड संख्या. 20801640) ii) उत्तरी यार्ड में चरण II का विस्तार (कोड संख्या. 20801642) iii) दक्षिण यार्ड में स्लिपवे का विस्तार (कोड संख्या. 20801650) iv) स्लिपवे विस्तार के लिये अतिरिक्त जल क्षेत्र (कोड संख्या. 20801652)	₹ 10,214.40/- भूमि के लिये ₹ 5,107.20/- बेसिन/ जल क्षेत्र के लिये

टिप्पण:

- उपरोक्त दरमान प्रति वर्ष अक्तूबर में 4% बढ़ जायेगा और 30.09.2022 तक वैध रहेगा।
- किराये की वास्तविक राशि एफएसआई की प्रयोजनीयता के उद्देश्य से नियुक्त समिति द्वारा यथासंस्तुत के अनुसार मूल किराये और गुणक के आधार पर निकाली जायेगी।
- उक्त दरों में कर, सेवा प्रभार, शास्तियां, ब्याज दर शामिल नहीं है।
- जल निकायों के आबंटन की दर दरमान दरों के 50% पर लागू हैं।
- 01.10.2017 से 30.09.2022 की अवधि के लिये अंतरीय बकाया, देयतायें और अन्य संदेय/प्रभारों की गणना उक्त दरों के आधार पर की जायेगी।
- यह दरें एमडीएल के 4 समाप्त हुए पट्टों पर ही लागू होंगी, जैसी ऊपर चर्चा की गई है।
- अनुमत अवधि से इतर अवधि का ब्याज समय समय पर बोर्ड की नीति के अनुसार प्रभार्य होगा।
- चाहे मांग की गई है या नहीं, किरायेदारों/पट्टाधारकों/लाइसेंस धारकों/दखलकारों द्वारा किसी महीने का किराया/प्रतिकर/लाइसेंस शुल्क का भुगतान अगले महीने के 15वें दिन को या उससे पहले करना होगा।

”

5. इस प्राधिकरण द्वारा पारित सकारण आदेश अलग से सूचित किया जायेगा तथा एमबीपीटी और संबंधित किरायेदारों/पट्टाधारकों को बाद में संसूचित किया जायेगा।

टी. एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./415/2021-22]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS
NOTIFICATION

Mumbai, the 2nd November 2021

No. TAMP/51/2021-MBPT.—In exercise of the powers conferred by Section 49 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from Mumbai Port Trust (MBPT) for fixation of Schedule of Rate for the period 01.10.2017 to 30.09.2022 for Land/ Water area leased to Mazagaon Dock Shipbuilders Limited – RR Zone 10/80 (Mazagaon Division), as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports

Case No. TAMP/51/2021-MBPT

Mumbai Port Trust

- - -

Applicant

QUORUM

- (i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
(ii). Shri. Sunil Kumar Singh, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 1st day of November 2021)

This case relates to a proposal received from Mumbai Port Trust (MBPT) vide its letter No. FA/OEA-L/21(88)/U-8/252 dated 16 September 2021 seeking approval for fixation of Schedule of Rates for the period 01.10.2017 to 30.09.2022 for Land / Water area leased to Mazagaon Dock Shipbuilders Limited – RR Zone 10/80 (Mazagaon Division).

2. The proposal of MBPT is based on the Policy Guidelines of Land Management 2015 (PGLM 2015). The proposal was taken on consultation with the relevant users/ tenants/ lessees. The users have responded. The MBPT has responded to the comments of the users. A joint hearing on the case in reference was held on 11 October 2021 through Video Conferencing. At the joint hearing, the MBPT and the users have made their submissions.

3. With reference to the totality of information collected during the processing of the case and based on a collective application of mind, this Authority has passed a speaking Order disposing of the proposal filed by the MBPT for fixation of Schedule of Rates for the period 01.10.2017 to 30.09.2022 for Land / Water area leased to Mazagaon Dock Shipbuilders Limited – RR Zone 10/80 (Mazagaon Division).

4. This Authority desires that the following Rent Schedule for MBPT prescribing Lease rentals for the period 01 October 2017 to 30 September 2022 for Land / Water area leased to Mazagaon Dock Shipbuilders Limited – RR Zone 10/80 (Mazagaon Division), may be notified without waiting for notification of the Speaking Order:

“

SR NO.	RR ZONE	PLOT NO	Rate per sq mtr. per annum as on 1.10.2017 (In ₹)
1	2	3	5
1.	10/80	Plot bearing i) No. 355 (Code no. 20801640) ii) Expansion Phase II in North Yard (code no. 20801642) iii) Extension of Slipway in South Yard (code no. 20801650) iv) Additional water area for Extension of Slipway (code no. 20801652)	₹10,214.40/- for land ₹5,107.20/- for basin/ water area

Notes :

1. The SoR mentioned above would increase by 4 % annually every October and would be valid till 30.09.2022
2. Actual quantum of Rent will be worked out on the base rent and factor as may be recommended by the committee appointed for the purpose of applicability of FSI.
3. Taxes, service charges, penalties, interest rates are not included in the above rates.
4. Rate for allotment of water bodies is applicable at 50 % of the SOR rates for abutting land
5. Differential Arrears, liabilities and other dues/charges for a period from 1.10.2017 to 30.09.2022 will be calculated based on above rates.
6. These rates are applicable to only the four Expired Leases of MDL as brought out above.
7. Interest would be chargeable beyond permissible period as per Board's policy from time to time.
8. Whether demanded or not, rent/compensation/license fee for a month would have to be paid by the tenants/lessees/licensees/occupants on or before the 15th day of each succeeding month.

”

5. The Speaking Order passed by this Authority will be intimated separately and communicated to the MBPT and the relevant tenants/ lessees in due course of time.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./415/2021-22]